प्रेस विज्ञप्ति

09.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2022 के प्रावधानों के तहत 56.13 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य) की संपत्तियों की बहाली की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मछली पालन/मत्स्यपालन के किसानों को तालाबों/टैंकों के निर्माण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋणों के प्रसंस्करण और मंजूरी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित दो मामलों में पीएमएलए जांच के दौरान उक्त संपत्तियों को जब्त किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य में आईडीबीआई बैंक की भीमावरम और पलंगी शाखाओं में ऋण स्वीकृत किए गए थे।

ईडी ने केसीसी मछली टैंक ऋणों के प्रसंस्करण और मंजूरी में आईडीबीआई बैंक को धोखा देने के लिए रेब्बा सत्यनारायण, कुमार पप्पू सिंह, बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ सीबीआई, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर दो मामलों में जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि रेब्बा सत्यनारायण और कुमार पप्पू सिंह ने आईडीबीआई बैंक की विभिन्न शाखाओं में वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 230 उधारकर्ताओं के नाम पर कुल 181.87 करोड़ रुपये के केसीसी ऋणों के लिए ऋण एग्रीगेटर के रूप में काम किया। जांच में पता चला है कि केसीसी फिश टैंक ऋण रेब्बा सत्यनारायण और कुमार पप्पू सिंह द्वारा जाली/फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके और उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों/दोस्तों के नाम पर उनके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को गिरवी रखकर गारंटर के रूप में काम करके उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, दोस्तों आदि के नाम पर धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। लिए गए ऋणों को डायवर्ट किया गया और संपत्तियों की खरीद और निवेश करने के लिए उपयोग किया गया। मामलों में अपराध की कुल आय 234.23 करोड़ रुपये आंकी गई है और जांच के दौरान ईडी द्वारा मामलों में 84.93 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं। ईडी ने विशाखापत्तनम में माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष मामलों में अभियोजन शिकायतें भी दायर की हैं और माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है।

आईडीबीआई बैंक ने विशाखापत्तनम स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के अंतर्गत दोनों मामलों में प्रतिपूर्ति आवेदन दायर किए और ईडी ने उसके द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों की प्रतिपूर्ति के लिए सहमति व्यक्त की ताकि ऐसी कुर्क की गई संपत्तियां धोखाधड़ी के शिकार यानी आईडीबीआई बैंक को वापस की जा सकें।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.09.2025 और 18.09.2025 के आदेशों के माध्यम से प्रतिपूर्ति याचिकाओं को अनुमति दे दी, जिससे कुर्क की गई संपत्तियों की प्रतिपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। जिन कुर्क संपत्तियों के लिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है, उनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में 155 भूखंड, आवासीय/व्यावसायिक भूखंड और अपार्टमेंट शामिल हैं।